स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा/2015–16/63 दिनांक : 05.01.2016

परिपत्र

विषय :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से कोई भी चार्ज नहीं लेकर निःशुल्क ईलाज करने के सम्बन्ध में।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में स्पष्ट वर्णित है कि लाभार्थी का ईलाज निःशुल्क किया जायेगा तथा रोगी से किसी भी प्रकार से कोई भी राशि नहीं ली जायेगी। इलाज में उपयोग में आने वाली दवाओं, जांचों तथा अन्य समस्त आवश्यक सामग्री की उपलब्धता निम्नानुसार सुनिश्चित की जायेगी :–

1. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) द्वारा संचालित MNDY तथा MNJY के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईयॉं आदि के सम्बन्ध में पूर्वानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
2. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSCL द्वारा संचालित MNDY तथा MNJY के अन्तर्गत ना आने वाली परन्तु जिनके लिए बीपीएल जीवन रक्षा कोष या आर.एम.आर.एस. के अन्तर्गत कय करने की प्रकिया विद्यमान है उसी अनुसार BSBY के मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करानी है।
3. उपरोक्त दोनों स्थितियों के अतिरिक्त आवश्यक दवाईयॉं, विभिन्न प्रकार की जॉंचें आदि (MRI, CT-SCAN) जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं एवं अन्य आवश्यक सामग्री जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है उनका कय करने के लिये स्थानीय स्तर पर नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत भर्ती मरीज से ईलाज हेतु किसी भी प्रकार शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा उसका समस्त ईलाज केशलेस होगा। इसकी पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जावे। किसी भी चिकित्सा संस्थान की इस सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक करवाई की जावेगी।

इसी प्रकार आप अपने जिले में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित निजी अस्पतालों को भी इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबन्द करें, अनियमितता पाये जाने पर, ऐसे निजी अस्पतालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा/2015–16/63 दिनांक : 05.01.2016

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. उपमहाप्रबन्धक न्यू इण्डिया ऐश्योरेन्स कम्पनी लि.
7. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज,(समस्त)
8. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
9. जिला नोडल अधिकारी समस्त,
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
12. डॉ अवतार सिंह दुआ, बीएसबीवाई की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
14. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी